

उपकरणों की जांच का प्रमाण-पत्र प्रपत्र

मैं, यह प्रमाणित करता हूँ कि श्री
ठेकेदार अनुज्ञप्ति क्रमांक द्वारा लाये गये उपकरण जिनका विवरण नीचे
दिया गया है और जो मध्य प्रदेश अनुज्ञापन मण्डल (विद्युत) विनियम, 1960 के परिषिष्ट (नीचे दिया
गया है) के अनुसार है । मेरे द्वारा जांच के उपरांत अच्छी हालत में और काम करने लायक पाये
गये ।

उपकरण का नाम	निर्माता क्रमांक	निर्माता	रेंज	पोर्टेबल है या नहीं.	अन्य ब्यौरा	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
इन्सूलेशन टेस्टर						
एम्मीटर						
व्होल्ट मीटर						
अर्थ टेस्टर						

टीप- यदि आवेदनकर्ता नया हो तो प्रमाण करने वाले अधिकारी ने कालम 7 में मूल पत्र देखकर
जिससे खरीदे हों उनके नाम का उल्लेख करना चाहिये ।

स्थान

हस्ताक्षर

दिनांक

पद

उपरोक्त उपकरण मेरे आधिपत्य में हैं ।

हस्ताक्षर वि०टे०.....

.....

परिषिष्ट

विनियम 26 के अनुसार उपकरणों का लायसेन्स ठेकेदार के पास रहना :-

1. इन्सूलेशन टेस्टर 500 वोल्ट- ए, बी, सी वर्ग के लिये.
2. पोर्टेबल एम्मीटर 6 इंच डायल का 0 से 50 एम्पीयर का 'ए' क्लास के लिये.
3. पोर्टेबल एम्मीटर 6 इंच डायल का 0 से 20 एम्पीयर का 'बी' क्लास के लिये.
4. पोर्टेबल व्होल्टमीटर 6 इंच डायल का 0 से 500 व्होल्ट का 'ए' और 'बी' क्लास के लिये.
5. अर्थ रेसिस्टिविटी टेस्टर 'ए' क्लास के लिये.

.....